(24)

संकल्प संख्या–18/विविध–06–12/2011 1267

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
संकल्प

विषयः–सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी का गठन ।

बिहार प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम का एक प्रमुख कार्यबिन्दु सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (सुशासन केन्द्र) की स्थापना है । तदनुसार सुशासन केन्द्र की स्थापना एवं उसे एक निबंधित सोसाइटी के रूप में गठित करने का निर्णय लिया गया है । सुशासन केन्द्र सोसाइटी सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन कार्य करेगी ।

2. सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस निबंधित सोसाइटी होगी । सरकार द्वारा अनुमोदित सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी का बाई लॉज एवं Memorandum of Association संलग्न है।

3. सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :–

(क). प्रशासनिक सुधार/प्रशासनिक तंत्र की बिहार में मजबूती के निमित्त सतत परामर्श एवं बौद्धिक विकास हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों की एक बौद्धिक विचारक संस्था की स्थापना ।

(ख). नवनिर्माण को दृष्टिपथ में रखते हुए प्रशासन की सर्वोत्तम व्यवस्था, प्रशासन एवं सेवा प्रदान करने की व्यवस्था पर शोध एवं उपलब्ध ज्ञान का प्रबंधन ।

(ग). मुख्य अधिनियम व्यवस्था एवं नीतिगत मामलों पर पुनर्विचार एवं इन्हें अद्यतन करने की निमित्त बिहार सरकार को नीति निर्धारण के स्तर पर समर्थन/सहायता प्रदान करना ।

(घ). क्षेत्रवार एवं विभागवार विशिष्ट गहरे एवं धरातल आधारित शासन एवं कार्यकुशल तथा उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था जिसकी भावना गरीबों के विकास से आच्छादित हो, का बिहार में विकास करना ।

(ङ). प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशासन की सुदृढ़ीकरण एवं नागरिक सेवा प्रदाता सेवाओं के विकास के उद्देश्य की पूर्त्ति हेतु महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रारूपण, सूत्रण एवं क्रियान्वयन की दिशा निर्धारण एवं क्रियान्वयन के विभिन्न आत्मउपयोगी व्यवस्था का विकास ।

(च). आवश्यकता आधारित पहचान के क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशासन के महत्वपूर्ण अवयवों का क्षमता विकास ।

(छ). अद्यतन प्रगति का आसूचना संग्रह के साथ अनुश्रवण एवं मूल्यांकन ।

(ज). भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के विभागों तथा अन्य स्वायत्त संस्थाओं से परियोजनाओं आदि के लिये consultancy बाजार दर पर प्रदान करना ।

(23)

4. **प्रबंधन की संरचना :–**

शासी परिषद का गठन

(क). सुशासन केन्द्र सोसाइटी के लिए नीति निर्धारण एवं नीतिगत मार्गदर्शन देने के लिए शासी परिषद् का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

मुख्य सचिव	–	अध्यक्ष
विकास आयुक्त	–	उपाध्यक्ष
महानिदेशक, बिपार्ड	–	सदस्य
प्रधान सचिव, वित्त विभाग	–	सदस्य
प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	–	सदस्य
ख्यातिप्राप्त एकेडमीक इंस्टीच्यूट के अध्यक्ष यथा भारतीय प्रबंधन संस्थान अथवा पटना स्थित विशिष्ट शैक्षणिक संस्थान	–	सदस्य (सरकार द्वारा मनोनीत)
महानिदेशक, CGG	–	सदस्य सचिव

(ख). शासी परिषद् सुशासन केन्द्र के दक्षतापूर्वक कार्य करने हेतु Memorandum of Association के धारा 4 एवं 7 में अंतर्निहित vision एवं उद्देश्य की पूर्त्ति हेतु नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करेगी ।

(ग). इसकी बैठक वर्ष में एक बार निश्चित रूप से होगी ।

(घ). यह प्रबंधन समिति द्वारा समर्पित वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक अंकेक्षित लेखा तथा balance sheet पर विचार करेगी ।

(च). परिषद् द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सुशासन केन्द्र राज्य सरकार के साथ किए गये MOU में अंतर्निहित प्रावधानों का अनुपालन करेगी ।

प्रबंधन समिति का गठन

(क). सुशासन केन्द्र के कार्यों का सतत रूप से समीक्षा करने तथा procurement, recruitment, consultancy, research आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रबंधन समिति का गठन किया जायेगा । प्रबंधन समिति के सदस्य निम्न प्रकार होंगे :–

महानिदेशक, सुशासन केन्द्र	–	अध्यक्ष
निदेशक, सुशासन	–	संयोजक
उप निदेशक, वित्त	–	सदस्य
उप निदेशक, कार्मिक	–	सदस्य

(ख). सुशासन सोसाइटी के लिए पदों का सृजन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा एवं सृजित पदों के लिए वेतन/मानदेय का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से किया जाएगा ।

(ग). प्रबंधन समिति एवं उसके अध्यक्ष, महानिदेशक (सुशासन), निदेशक (सुशासन) अपने शक्तियों एवं दायित्वों का निर्वहन बॉय–लॉज में नीहित प्रावधानों के अनुसार करेंगे ।

5. **राज्य सरकार के शक्तियॉं** :–

सुशासन केन्द्र के संदर्भ में राज्य सरकार की शक्तियॉं निम्न प्रकार होगी :–

(क). **Memorandum of Association** में नीहित किसी भी मदों को जोड़ने, परिवर्तन करने अथवा हटाने के संबंध में निदेश दे सकती हैं ।

(ख). बॉय–लॉज के मद संख्या 12.12 एवं 12.13 के अधीन सौंपी गई सोसाइटी को नियुक्ति एवं सेवा समाप्ति से संबंधित शक्ति के लिए निदेश जारी कर सकती है । सुशासन केन्द्र सोसाइटी के संरचना का निर्धारण एवं पदों का सृजन साथ ही उन पदों के लिए वेतन के संबंध में निर्णय ले सकती हैं ।

6. **वित्तीय प्रबंधन** :–

(क). सुशासन केन्द्र सोसाइटी का वित्तीय वर्ष 01 अप्रील से अगले वर्ष के 31 मार्च तक होगा ।

(ख). वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए प्रारंभिक निवेश एवं केन्द्र के संचालन में होने वाले व्यय का पूर्ण वहन बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा किया जाएगा । आगे के वर्षों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता के संबंध में राज्य सरकार बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी से परामर्श कर निर्णय लेगी ।

(ग). सामान्य रूप से इस सोसाइटी का वित्तीय स्रोत निम्न प्रकार होगा :–

(i). भारत सरकार /राज्य सरकार से आवर्त्तक एवं अनावर्त्तक मद में प्राप्त अनुदान ।

(ii). निवेश से प्राप्त आय ।

(iii). डी.एफ.आई.डी. एवं अन्य निधि से उपलब्ध कराने वाले बाहय स्रोतों से प्राप्त अनुदान/ऋण ।

(iv). भारत सरकार/राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदनोंपरांत विदेश सरकारों एवं संस्थाओं से प्राप्त अनुदान/ऋण/दान अथवा अन्य प्रकार की सहायता ।

(v). भारत में किसी भी सरकारी संस्था से प्राप्त अनुदान/ऋण/दान अथवा अन्य प्रकार की सहायता ।

(vi). **Projects/assignments** से प्राप्त राजस्व ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त सोसाइटी के पास एक विशेष निधि उपलब्ध होगा जिसमें :–

(क). वैसी राशि जिसके साथ यह शर्त्त निहित होगा कि उस राशि से प्राप्त होने वाले आय को सोसाइटी के उद्देश्य की पूर्त्ति हेतु व्यय किया जाएगा ।

(21)

(ख). वैसी अन्य राशि जो शासी परिषद् द्वारा सामान्य निधि से विचलित कर व्यय करने के लिए निदेशित कर सकती हैं ।

(ग). सोसाइटी के बैंक खाते का संचालन महानिदेशक एवं प्रबंध समिति द्वारा निदेशित किसी functional head के द्वारा किया जाएगा ।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजनपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

22.11.2011

(अजय कुमार चौधरी)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– 18 / विविध–06–12 / 2011 12670 / पटना, दिनांक– 22/11/11

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव / विकास आयुक्त / महानिदेशक, बिपार्ड / प्रधान सचिव, वित्त विभाग / प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।।

22.11.2011

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– 18 / विविध–06–12 / 2011 12670 / पटना, दिनांक– 22/11/11

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष तथा सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.11.2011

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– 18 / विविध–06–12 / 2011 12670 / पटना, दिनांक– 22/11/11

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी.डी के साथ बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

22.11.2011

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– 18 / विविध–06–12 / 2011 12670 / पटना, दिनांक– 22/11/11

प्रतिलिपि– मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सामान्य प्रशासन विभाग के संलेख ज्ञापांक–12449 दिनांक–15.11.2011 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–15.11.2011 में मद सं0–12 के आलोक में सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.11.2011

सरकार के संयुक्त सचिव ।